

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 25.07.2025

01 अदद अवैध पिस्टल के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष राजघाट के नेतृत्व में उ0नि0 विकास कुमार मय पुलिस टीम द्वारा हर्बट बन्धा तकिया मोड़ पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त शिवम कुशवाहा पुत्र स्व0 कृपानारायण उर्फ दीपू कुशवाहा को 01 अदद अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 151/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.07.2025 को थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा हर्बट बन्धा तकिया मोड़ पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त को 01 अदद अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

शिवम कुशवाहा पुत्र स्व0 कृपानारायण उर्फ दीपू कुशवाहा निवासी बसन्तपुर तकिया थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 151/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 361/2024 धारा 110 बीएनएस थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 204/2024 धारा 147,323,325,504,506 भा0द0सं0 थाना राजघाट गोरखपुर

बरामदगी-

01 अदद अवैध पिस्टल

गिरफ्तारी की टीम

1. उ0नि0 विकास कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. कां0 गुलफाम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3. कां0 सुनील यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर